

6/19

127

748



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



म. सिद्धिजी साहाय
 म. सिद्धिजी साहाय
 जौनपुर

EW 839995

दस्तावेज न्यास विलेख

मैं नीतू सिंह पत्नी श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, शंकर आई हास्पिटल, रुहट्टा, जौनपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। मैं 'श्री साई सेवा न्यास/ट्रस्ट', शंकर आई हास्पिटल, रुहट्टा, जौनपुर, उत्तर प्रदेश की स्थापना करती हूँ एवं अपने हस्ताक्षर से साक्षियों के समक्ष हस्ताक्षरित कर आज दिनांक 24-05-2019 को पंजीकृत कर रही हूँ।

- | | | | |
|----|-------------------------------|----------|---|
| 1. | ट्रस्ट/न्यास की प्रतिबद्धता | की विधिक | - 'श्री साई सेवा न्यास/ट्रस्ट', जिसे इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1982 के अन्तर्गत गठित एवं रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इस ट्रस्ट पर इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट 1982 के समस्त नियम उपनियम लागू होंगे, जो इस ट्रस्ट के संचालन के लिए आवश्यक है और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। 'श्री साई सेवा न्यास/ट्रस्ट', न्यास अधिनियम के नियमों के अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। |
| 2. | ट्रस्ट/न्यास का नाम | - | 'श्री साई सेवा न्यास/ट्रस्ट' |
| 3. | ट्रस्ट/न्यास का स्थायी पता | - | शंकर आई हास्पिटल, रुहट्टा, जौनपुर |
| 4. | ट्रस्ट/न्यास का कार्य क्षेत्र | - | सम्पूर्ण भारत। |

Nedtu Singh



3997 24/5/19 100)
.....
.....
.....

.....
.....

.....
.....

S
TREA CER
★ 11 6 MAY 2019 ★
JAUNPUR





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 203929

5. ट्रस्ट में आजीवन ट्रस्टी/पदाधिकारी व्यक्ति जो नामित किये गये हैं, जो आजीवन पदाधिकारी/संस्थापक ट्रस्टी होंगे, जो निम्न हैं -

क्र. सं.	नाम ट्रस्टी	पिता/पति	पद	व्यवसाय	पता
1	राजेन्द्र प्रताप सिंह	स्व. रामलखन सिंह	सदस्य	व्यापार	पश्चिमी सहकारी कालोनी उमरपुर हरिद्वानपुर, हथेली, सदर, जौनपुर

6. ट्रस्ट/न्यास का स्वरूप - यह ट्रस्ट एक स्वैच्छिक सामाजिक संगठन है, जो जाति धर्म वर्ग सम्प्रदाय से ऊपर उठकर जनहित सर्वजनहिताय सर्वजन सुखाय के लिए कार्य करेगा।
7. लाभग्राही - हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई व बौद्ध आदि समस्त धर्म जाति के समस्त लोगों को बिना किसी भेद-भाव के सामान्य विकास अर्थात् मानव-मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह ट्रस्ट कार्य करेगा एवं सभी लोगों को समान लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगा।
8. हितग्राही व्यक्ति - *Necty Singh* - ट्रस्ट/न्यास द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होगा बल्कि ट्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रमों के विकास में सहायक लोक कल्याण के लिए लगाया जायेगा।

1002 24/5/19
 लिंगांक.....दि०.....कीमत.....
 श्री/श्रीमती/शुभ...../श्री/श्रीमती.....
 निवासी.....#०.....श्री०.....

आवेदन सं०: 201900984006017

मु०/उप०रोकडिया
कोषामार, जौनपुर

न्यास पत्र

बही सं०: 4

रजिस्ट्रेशन सं०: 127

वर्ष: 2019

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 850 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 580

श्रीमती नीतु सिंह,
 पत्नी श्री रैलेन्द्र कुमार सिंह
 व्यवसाय : गृहिणी
 निवासी: शंकर आई हास्पिटल, रुहड़ा सदर जौनपुर

Nectu Singh



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/05/2019 एवं 03:58:56 PM बजे
 निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नीलम त्रिपाठी (प्र०)
 उप निबंधक :सदर
 जौनपुर
 24/05/2019
 अफिल श्रीवास्तव
 निबंधक लिपिक





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 203928

9. ट्रस्ट के उद्देश्य -

1. समाज के सभी वर्गों एवं धर्मों के बालक बालिकाओं के लिए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, मेडिकल, इन्जीनियरिंग, विधिक, व्यावसायिक, तकनीकी एवं रोजगार परक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनका संचालन करना। स्नातक, परास्नातक, चिकित्सा, स्वास्थ्य शिक्षा, शिक्षण संस्थान की स्थापना करना।
2. समाज के सभी वर्गों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं उनका संचालन करना तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।
3. समाज के निर्बल असहाय एवं निर्धन परिवार के बच्चों की छात्रवृत्ति एवं अनुदान की व्यवस्था करना।
4. नवयुवकों एवं शिक्षित बेरोजगारों को स्वतः रोजगार हेतु प्रेरित करना एवं प्रशिक्षित करना।
5. प्रौढ शिक्षा के प्रचार-प्रसार का कार्य करना तथा दान/अनुदान की व्यवस्था करना।
6. समाज में व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु कार्य करना।
7. ग्रामीणों में अच्छी शिक्षा हेतु विद्यालयी शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना।
8. रोजगार के अधिक अवसर दिलाने हेतु तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना तथा प्रचार-प्रसार का कार्य करना तथा विधि शिक्षा को बढ़ावा देना।

Neetu Singh

4001 24.5.19 5-1
 त्रिभुवन नगर, जिला - 3971
 नगरपालिका, नगरपालिका - 3971
 नगरपालिका, नगरपालिका - 3971



90/370 रोड डिजिटल
 Application No.: 20190098400601 नगरपालिका, जिला

Book 0: 4 Registration number 0: 127 Year: 2019

The amount of money received and received from the execution instrument

Trustee: 1

Mrs. Neetu Singh, wife Shailendra Kumar Singh
 Resident: Shankar Eye Hospital, Ruhatta Sadar
 Jaunpur

Business: Housewife

Neetu Singh




Accepted the execution. Whose identity

Identifier: 1

Mr. Manoj Kumar Singh, son Mr. Rajkumar
 Resident: Araji Gurujani Haveli Sadar Jaunpur

business trade

मिशनरिज



Identifier: 2

Shri Vivek Kumar Singh, son Shri Rajendra Pratap
 Singh

Resident: Cooperative Colony Umapur Hasi Sadar
 Jaunpur

business trade

18/05/2019



Signature of the registration officer

(Handwritten signature)

Neelam Tripathi (PR)
 Deputy Registrar: Sadar
 Jaunpur

Ankit Sahu
 Registrar clerk

Did Indeed, the marks of the registration officer have been
 taken as thumb rule
 Comment :

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
₹.50



FIFTY
RUPEES
Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

BZ 203927

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 9 मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करना एवं जरूरी कदम उठाना।
- 10 विकलांग, मूकबधिर, नेत्रहीन बालक बालिकाओं हेतु विद्यालय का संचालन करना तथा आवास भोजन कपड़ा शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।
- 11 बालिकाओं/महिलाओं के लिए कढ़ाई, हस्तकला, चित्रकला एवं खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धित शिक्षण प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना। गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना।
- 12 ट्रस्ट किसी भी नई संस्था का संचालन परिवार के किसी भी व्यक्ति के नाम से खोलकर कर सकता है।

10. ट्रस्ट की सदस्यता-

1. संस्थापक ट्रस्टी

- ट्रस्ट की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार की होगी। ट्रस्ट प्रणजीकरण दस्तावेज में उल्लिखित समस्त संस्थापक ट्रस्टी ट्रस्ट के संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी होंगे, जिन्हें किसी भी प्रकार के रिक्त ट्रस्टी को मनोनीत करने एवं ट्रस्ट को संचालित और नियन्त्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। इन्हें अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का चयन करने का अधिकार होगा या ट्रस्ट में निहित नियम के अनुसार उत्तराधिकारी होगा। जिन्हें अपने पूर्वपति/दुस्ती की भांति समस्त अधिकार प्राप्त होंगे। इनकी सदस्यता का अधिकार मृत्यु या स्वतः त्यागपत्र द्वारा ही समाप्त होगा। संस्थापक आजीवन ट्रस्टी द्वारा अपने जीवनकाल में उत्तराधिकारी का चयन न करने पर उनके वंशज में से योग्य व्यक्ति अन्य न्यायियों की सहमति पर उत्तराधिकारी होगा।

Nectu Singh

1050 24/5/19 521
3711
गुणवत्ता नियंत्रण
विभाग, पोस्ट

पंजाब पोस्ट
23 MAY 2019 ★





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 203926

2. मुख्य ट्रस्टी - नीतू सिंह पत्नी शैलेन्द्र कुमार सिंह, शंकर आई हास्पिटल रुहट्टा, सदर, जौनपुर
3. मुख्य संरक्षक - शैलेन्द्र कुमार सिंह - किसी भी दशा में किसी भी निर्णय पर मुख्य संरक्षक का निर्णय ही सर्वमान्य होगा।
3. सहायक ट्रस्टी - 1. राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र रामलखन सिंह, पश्चिमी सहकारी कालोनी, उमरपुर हरिबन्धनपुर, हवेली, सदर, जौनपुर
11. ट्रस्ट की सदस्यता समाप्ति
1. मृत्यु हो जाने पर।
 2. स्वतः त्यागपत्र देने पर।
 3. पागल या दिवालिया होने पर।
 4. कदाचार के गम्भीर मामलों में न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
 5. ट्रस्ट विरोधी कार्य करने एवं अनुशासनहीनता के दण्ड स्वरूप।
12. संस्थापक/आजीवन ट्रस्टियों के अधिकार व कर्तव्य -
1. ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेना।
 2. ट्रस्ट के द्वारा संचालित परियोजनाओं के संचालन में समितियों, उप समितियों का गठन करना।

Neetu Singh

3999 No. 2/10-14
कोषिका..... सीमात...
दी/सीमाती/दु... 31/11...
मि... ..

५५

मु०/डा० रोका...
री... ..





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 203925

3. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियम, उपनियम बनाना, संशोधन करना तथा उनको क्रियान्वित करना।
4. ट्रस्ट के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत प्रदान करना एवं ट्रस्ट का वार्षिक आय-व्यय का लेखा-जोखा स्वीकृत करना।
5. ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय पर अन्तिम निर्णय देना।
6. अपने जीवन-काल में ही अपने उत्तराधिकारी का चयन करने का अधिकार।
7. ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टियों की संख्या को संस्थापक/आजीवन ट्रस्टियों द्वारा सर्वसम्मति से बढ़ाया जा सकता है।
8. अन्य वे सभी कार्य करना, जो ट्रस्ट एवं समाज के हित में आवश्यक हो।

नोट- संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी की रिक्ति की पूर्ति संस्थापक/ आजीवन ट्रस्टियों के वंशानुक्रम/जीवन-काल में ही नामित किसी एक उत्तरदाधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य/पदाधिकारी/मुख्य ट्रस्टी के अधिकार प्राप्त होंगे, जो संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी के ही उत्तराधिकारी होंगे।

13. मुख्य ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य -

1. मुख्य ट्रस्टी ही मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होंगे।
2. ट्रस्ट के लिए दान, अनुदान, चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसके लिए यथाविधि रसीदें देना।
3. ट्रस्ट की कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना।

Neetu Singh

उत्तर 24.5.19 501
श्री. ३७७१
६/६/१९१९
वि. ३०

१०/१७००००००
००००००००

३ कोषाधिकारी
23 MAY 1919 ★



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 225714

4. ट्रस्ट से सम्बन्धित लेखों विलेखों, बिलों आदि पर हस्ताक्षर करना एवं उसे जारी करना।
 5. ट्रस्ट के लिए चल व अचल सम्पत्ति खरीदना, बेचना, रेहन रखना, ऋण लेना, अनुदान लेना, पदाधिकारियों को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्त करना, निष्कासन करना व किसी संक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या निरस्त करना। ट्रस्ट से सम्बन्धित चल अचल सम्पत्ति पर समस्त अधिकार मुख्यट्रस्टी के होंगे।
 6. ट्रस्ट द्वारा वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना, वेतन, वेतनवृद्धि तथा अन्य देय धनराशियों का भुगतान स्वीकृत करना एवं वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निलम्बन एवं निष्कासन करना।
 7. अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करना एवं उसके लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना।
 8. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रों का प्रबन्धक बनकर कार्य करना।
 9. समस्त पत्राचार एवं वित्तीय नियन्त्रण के अधिकार का प्रयोग करना एवं अन्य वे सभी कार्य जो विवाद का बिन्दु हो, उसमें अन्तिम एवं बाध्यकारी निर्णय देना।
14. सहायक ट्रस्टी के अधिकार व कर्तव्य -
1. ट्रस्ट एवं समाज की उन्नति में कार्य करना।
 2. सामाजिक हित में अच्छे सुझाव देना।

Neetu Singh

399 24.5.17 ✓✓
399.1
पुस्तकालय
जोधपुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 225713

3. मुख्यद्रस्टी का सहयोग करना एवं मुख्यद्रस्टी द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना।
15. ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति - ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक, कोषाध्यक्ष तथा एक सदस्य होंगे।
16. ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य - ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी, एवं ट्रस्ट के संचालन के लिए उत्तरदायी होगी।
17. ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-

अध्यक्ष

1. ट्रस्ट एवं ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थाओं की बैठक बुलाना, अध्यक्षता करना, रसीद काटना, प्रबन्धक से विचार-विमर्श कर नीति निर्धारण करना, किसी विषय पर मतदान की स्थिति के बराबर मत होने पर मतदान करना। कार्यवाहियों की स्वीकृति देना।

प्रबन्धक - ट्रस्ट के संचालन के लिए सभी शैक्षिक कार्य करना / व्यवस्था करना / मुख्य ट्रस्टी द्वारा दिये गये कार्य का संचालन करना। प्रबन्धक आजीवन मुख्यद्रस्टी के मृत्यु के उपरान्त प्रबन्धक ही मुख्य ट्रस्टी होगा एवं प्रबन्धक पद खाली होने पर जो आजीवन ट्रस्टी सदस्य है, वही प्रबन्धक होगा। अध्यक्ष की सहमति से बैठक बुलाना, नये न्यासियों को न्यासी बनाना, नये न्यासियों को न्यासी बनाना, दानदाताओं से चन्दा प्राप्त करना, मान्यता सम्बन्धी कार्यवाही करना, एकल खाता या कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्त खाता खोलकर संचालित करना, प्रबन्धक करना, ट्रस्ट एवं ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्था का प्रबन्धकत्व करना, संचालित करना, ट्रस्ट से सम्बन्धित समस्त कार्य।

Nandu Singh



3996 210/19 561
क्रमांक..... दिनांक.....
श्री/श्रीमती/श्री.....
पिता/पति.....

मु०/उप० रजिस्ट्रार
लखनगर, जौनपुर





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रामजी साहय
उपरोकडिया
कोषागार, जौनपुर

EW 839999

उपाध्यक्ष

1. आध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्यों को सम्पादित करना।

कोषाध्यक्ष

1. ट्रस्ट के आय-व्यय के लेखा-जोखा का विवरण तैयार करना, रख-रखाव व अनुमोदन करना।

18. विवादित स्थिति का निर्णय -

ट्रस्ट में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर ट्रस्ट के संस्थापक न्यासीगण दस्तावेज के मुताबिक एवं बहुमत से सहमत निर्णय लेना, ट्रस्ट एक्ट के नियमों के अनुसार ही समस्त विवादों का निपटारा होगा।

19. ट्रस्ट के रिकार्ड एवं अभिलेख -

एजेण्डा रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैशबुक बाउचर, फाइल रसीद बही, पासबुक, चेकबुक निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर एवं अन्य वे सभी कागजात जो ट्रस्ट के संचालन में आवश्यक हों, ट्रस्ट के रिकार्ड एवं अभिलेख कहलायेंगे।

Nectu Singh





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रामजी सहाय
ग्रोहड़िया
कोयामार, जौनपुर

EW 839998

20. अनुशासनात्मक कार्यवाही -

ट्रस्ट के किसी भी प्रकार के पदाधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय प्रबन्ध समिति करेगी। यदि प्रभावित व्यक्ति को उसके निर्णय से असन्तोष होता है तो वह एक माह के अन्तर्गत मुख्यट्रस्टी के यहां अपील कर सकता है। संस्थापक ट्रस्टियों की सहमति से मुख्यट्रस्टी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

21. नियमों विनियमों में संशोधन -

संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी सर्वसम्मति से या दो तिहाई बहुमत से ट्रस्ट के नियमों विनियमों में संशोधन कर सकते हैं, जिसका पंजीयन आवश्यक न होकर केवल बैठक की कार्यवाही में पारित प्रस्ताव ही पंजीयन का भाग होगा।

22. वाद तथा प्रतिवाद -

समस्त प्रकार के वादों तथा प्रतिवादों का न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय जौनपुर उ०प्र० रहेगा तथा ट्रस्ट द्वारा दूसरों पर या दूसरों द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद-विवाद तथा प्रतिवाद ट्रस्ट के नाम से होंगे। व्यक्तिगत नाम से ही नहीं, ट्रस्ट इस प्रकार के वादों प्रतिवादों की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है तथा कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

Necty Singh

3974 24519 1601
क्रमांक.....
दि/वर्ष/पृष्ठ.....
विभाग.....

~~40/310/2019
सोमनाथ जं. 24~~

~~वरिष्ठ वित्त अधिकारी~~

SENIOR
TREASURY OFFICER
★ 16 MAY 2019 ★
JAUNPUR





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

मि. म. जी. सहस्रानी
इसरोकडिग
मोगापर, जौनपुर

EW 839997

23. परियोजनाओं के संचालन में ट्रस्ट की व्यापकता -

ट्रस्ट सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं एवं परियोजनाओं का संचालन ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक कर सकता है जो कि भारतवर्ष ने किसी भी प्रान्त जिले तहसील या ग्रामों में चलायी जायेगी, जिसका पंजीयन आवश्यक न होकर केवल बैंक की कार्यवाही में पर्याप्त प्रस्ताव ही पंजीयन का भाग होगा।

24. पदों का सृजन -

मुख्य ट्रस्टी आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकते हैं और सुयोग्य व्यक्ति को पद स्थापित कर सकते हैं। सम्बन्धित कार्यक्रम की प्रबन्ध समितियों का गठन करके उसके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हें कार्य सौंप सकते हैं, तथा जिसके लिए उन्हें यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता तथा यथाविधि पारिश्रमिक भी व्यवस्था कर सकते हैं। जिसका अधिकार मुख्य ट्रस्टी के ही होंगे।

25. ट्रस्ट का काम -

ट्रस्ट के कोष का संचालन किसी गान्यता प्राप्त/सरकारी बैंक में ट्रस्ट के नाम से खाता खोलकर किया जायेगा, जिसका संचालन मुख्य ट्रस्टी के द्वारा ट्रस्ट के खातों का संचालन किया जायेगा।

Neetu Singh

3913 2/N-11
 344
 मुद्रा/संशोधन/...

आवेदन सं०: 201900984006017

वरिष्ठ क. सारी
 ★ 14 MAY

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 147 के पृष्ठ 297 से 320 तक क्रमांक
 127 पर दिनांक 24/05/2019 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

S DR
 TREC OFFICER
 16 MAY 2019
 रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
 JAUNPUR

नीलम त्रिपाठी (प्र०)
 उप निबंधक : सदर
 जौनपुर
 24/05/2019

प्रिंट करें





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

रामजी सहाय
प्ररोकदिया
कोयामार, जौनपुर

EW 839996

26. ट्रस्ट/न्यास की सम्पत्तियाँ -

'श्री सोई सेवा न्यास/ट्रस्ट' के पास ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियों द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दी गयी कुल 11000/- रुपये की चल सम्पत्ति है, जिसे ट्रस्ट के नाम खाता खोलकर किसी सरकारी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा किया जायेगा, जिसे ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में लगाया जायेगा।

27. वर्तमान में इस ट्रस्ट के नाम कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

टाइपकर्ता - अनन्त कुमार अस्थाना

मसविदाकर्ता - दीपक कुमार सिंह, एडवोकेट

Neetu Singh

गवाह -



1.

मनोज कुमार सिंह 5/0 राजआपुरे राकरनपुरे अराजौखरी
रवती अफर हुबने नौनपुर

2.



विशेष अन्तार सिंह 5/0 शर्मेन्द्र धराप सिंह
सहकारी कालोनी उत्तरपुर हरिबंदापुर
हवेली जौनपुर

3972 24.5.19 1501
.....
.....
.....

मु०/उपरोक्तिका
कोषागार, जौनपुर

परिच्छेद
★ 14M

SENIOR
TREASURER OFFICER
★ 16 MAY 2019 ★
JAUNPUR

